



प्रेस नोट - थाना सेहरामऊ दक्षिणी शाहजहाँपुर पुलिस



सराहनीय कार्य दिनांक - 26.02.2025

“थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा 24 घण्टे में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये अन्तर्राजनपदीय शातिर लुटेरो के गिरोह का किया खुलासा”

“थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में लूट की घटना का सफल अनावरण कर लूटे गये 58,700 रु0,03 एन्ड्राइड फोन व 03 की-पैड फोन, नाजायज तमंचा/कारतूस व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साईकिल आदि के साथ 05 अन्तर्राजनपदीय शातिर लुटेरो को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के आदेशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में दिनांक 25.02.2025 को वादी श्री स्वदेश कुमार शर्मा पुत्र छंगा लाल शर्मा निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2025 धारा 310(2)/109/317(3)/324(4) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का मात्र 24 घण्टे के अन्दर खुलासा किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 26.02.2025 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी द्वारा अभियुक्तगण 1. गुलाम शाबिर पुत्र शफीउल्ला निवासी ग्राम टुरमुखी थाना मंझिला जनपद हरदोई 2. धीर सिंह यादव उर्फ धीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई 3. मोहित सक्सेना उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व0 रोशन लाल ग्राम पुरवा पिपरिया थाना शाहाबाद जनपद हरदोई 4. श्याम सिंह उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई 5. कुसुमलता उम्र करीब 39 वर्ष पुत्री राकेश कुमार निवासी ग्राम जरारा थाना बेहटागोकुल जनपद हरदोई को दरिया तिराहे से ग्राम आटाखुर्द को जाने वाली सडक पर 500 मी0 चलने पर बहद ग्राम बंदरिया से समय 02.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिनकी जामातलाशी से थाना क्षेत्र से लूटे 58,700 रु0, 03 एन्ड्राइड फोन व 03 की-पैड फोन ,लूट के बरामद 02 अदद एन्ड्राइड मोबाईल फोन, लखीमपुर खीरी से लूटे गये 1500 रु0, एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक मूल आधार कार्ड वादी, एक अदद सीजशुदा मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट, एक पेंशन प्रो मोटरसाईकिल थाना मंझिला हरदोई से लूट की हुई बरामद किया गया। गिरफ्तार 04 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को हिरासत पुलिस लेकर पूछताछ की गई जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2)/ 317(3)/324(4) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 की बढौतरी की गई व गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 46/2025 धारा 310(2)/109/317(3)/324(4) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम/पता:

1. गुलाम शाबिर पुत्र शफीउल्ला निवासी ग्राम टुरमुखी थाना मंझिला जनपद हरदोई
2. धीर सिंह यादव उर्फ धीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई

3. मोहित सक्सेना उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व0 रोशन लाल ग्राम पुरवा पिपरिया थाना शाहाबाद जनपद हरदोई
4. श्याम सिंह उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई
5. कुसुमलता उम्र करीब 39 वर्ष पुत्री राकेश कुमार निवासी ग्राम जरारा थाना बेहटागोकुल जनपद हरदोई

आपराधिक इतिहास: अभियुक्त गुलाम साबिर (थाना मंझिला हरदोई का हिस्ट्रीशीटर)

1. मु0अ0सं0 470/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना शाहबाद जनपद हरदोई
2. मु0अ0सं0 495/2024 धारा 115(2)/126(2)/303(2)/317(2)/324(4) बीएनएस थाना शाहबाद जनपद हरदोई
3. मु0अ0सं0 507/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शाहबाद जनपद हरदोई
4. मु0अ0सं0 508/2024 धारा 41/411/420 भा0द0वि0 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शाहबाद जनपद हरदोई
5. मु0अ0सं0 202/2019 धारा 379/411 थाना मंझिला जनपद हरदोई
6. मु0अ0सं0 105/2016 धारा 41/411/420 भा0द0वि0 थाना हरियांवा जनपद हरदोई
7. मु0अ0सं0 158/16 धारा 392 भा0द0वि0 थाना मंझिला जनपद हरदोई
8. मु0अ0सं0 041/20 धारा 41/379/411/413/419/420 भा0द0वि0 थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई
9. मु0अ0सं0 051/25 धारा 309(4) बी0एन0एस0 थाना उचौलिया जनपद खीरी
10. मु0अ0सं0 062/25 धारा 309(4)/115(23) बी0एन0एस0 थाना मंझिला जनपद हरदोई

आपराधिक इतिहास: अभियुक्त धीर सिंह यादव उर्फ धीरेन्द्र सिंह

1. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 3/5/25 आयुध अधि0 थाना मंझिला जनपद हरदोई
2. मु0अ0सं0 062/25 धारा 309(4)/115(23) बी0एन0एस0 थाना मंझिला जनपद हरदोई
3. मु0अ0सं0 051/25 धारा 309(4) बी0एन0एस0 थाना उचौलिया जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास: अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र रमेश यादव

1. मु0अ0सं0 051/25 धारा 309(4) बी0एन0एस0 थाना उचौलिया जनपद खीरी

गिरफ्तारी का स्थान/समय:

बंदरिया तिराहे से ग्राम आटाखुर्द को जाने वाली सडक पर 500 मी0 चलने पर बहद ग्राम बंदरिया, दिनांक 26.02.2025

बरामदगी का विवरण:

2. थाना क्षेत्र से लूटे 58,700 रु0
3. 03 एन्ड्राइड फोन व 03 की-पैड फोन
4. लूट के बरामद 02 अदद एन्ड्राइड मोबाईल फोन
5. लखीमपुर खीरी से लूटे गये 1500 रु0
6. एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
7. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
8. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
9. एक आधार कार्ड वादी
10. एक अदद सीजशुदा मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट
11. एक पैंशन प्रो मोटरसाईकिल थाना मंझिला हरदोई से लूट की हुई

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों ने कहैलिया बैंक आफ बडौदा से एक व्यक्ति का पीछा कर ग्राम गौरिया गन्ना सैन्टर के पास से उस व्यक्ति से 55700 रुपये व एक एन्ड्राइड मोबाइल तथा एक दूसरे ई-रिक्शा चालक से 3000 रुपये तथा एन्ड्राइड मोबाईल तथा आगे एक व्यक्ति का ओर छीनना चाहते थे तभी काफी लोगों के पीछे आने पर हम लोग वहाँ से अपनी मोटरसाईकिल सहित पाँचों लोग भाग लिये थे। गाँव वालो द्वारा हम लोगों का काफी पीछा किया गया और हम लोगों का पीछा करके पकड़ लिया गया तो हम लोगों के साथी गुलाम साबिर ने अपने पास लिये हुए तमंचे से जो आप लोगो ने पकडा है, उसी से जान से मारने की नियति से लोगों पर फायर कर दिया था जिससे जनता के लोग पीछे हट गये थे और हम लोग भाग गये थे आगे जाकर एक गन्ने के खेत में हम सभी लोग छिप गये थे और अब देर रात अपने गाँव की तरफ चुपके से जाना चाहते थे तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

पुलिस टीम का विवरण (थाना सेहरामऊ दक्षिणी)

1. थाना प्रभारी श्री उमेश कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री अजय वर्मा
3. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह
4. का0 2466 निखिल कुमार
5. का0 1977 विन्देश
6. का0 130 प्रदीप चौहान
7. का0 1809 कपिल कुमार
8. का0 2637 अक्षय राठी
9. म0का0 2884 रजनी